संख्या- 124/2024/400/पू0वि0नि0/35-1-2024

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 12 जून, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश)अनुदान संख्या -83 में जनपद गोरखपुर की 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या - 121/डी.एस.टी.ओ./ पूर्वांचल विकास निधि(राज्यांश)/2023-24, दिनांक 02.05.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गोरखपुर की 01 परियोजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कालम संख्या -5 में अंकित धनराशि की विय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निम्नांकित तालिका के कालम संख्या -2 में अंकित परियोजना के चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन हेतु अगली किश्त के रूप में परियोजना के सापेक्ष कालम संख्या -9 में अंकित कुल रू0 73.88 लाख (रू0 तिहत्तर लाख अटठासी हजार मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या -83 से अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	परियोजना का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई कि0मी0 में	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	मांगी गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुरी बाजार से पी0 डब्लू0डी0 मार्ग से उत्तर ग्राम बलुआ भवानी बक्श सिंह मार्ग से महुआरी	शा0सं - 19/2023/713/004-23-14099-099-	1.200	116.69	35.01	7.80	73.88	73.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	बाग (मौर्य टोला) एवं डिडवा गांव तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य	74-2022, दिनांक 25.03.2023						
		योग	1.200	116.69	35.01	7.80	73.88	73.88

(रूपये तिहत्तर लाख अटठासी हजार मात्र)

3. यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढ़ंग से पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।
2. उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
3. आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
5. परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।
6. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/पिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।
9. स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2025 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
10. परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
11. मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।
12. परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
13. नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या– 10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0 पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
15. उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 73.88 लाख (रू0 तिहत्तर लाख अटठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -83 के लेखा शीर्षक"4575-अन्य विशेष क्षेत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024,दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-124/2024/ 400(1)पू0वि0नि0/35-1-2024 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय,उ0प्र0,प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8. जिलाधिकारी, गोरखपुर ।
9. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
12. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।